<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः

माननीय श्री आई. एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश

माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2673 /2010

याचिकाकर्ता मेसर्स श्री किशन एवं कंपनी

विरूद्ध

उत्तरवादीगण भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय के लिए विचारार्थ

सही/-

न्यायाधीश

27/07/2010

माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

एन. के. अग्रवाल,

न्यायाधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध : दिनांक 28/07/2010

सही/-

आई. एम. कुद्दूसी,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2673-2010

याचिकाकर्ता मेसर्स श्री किशन एवं कंपनी

विरूद्ध

उत्तरवादीगण भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

युगल पीठ:

माननीय श्री आई. एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश

माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश

उपस्थित:	
याचिकाकर्ता के लिए:	श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्र. 1 के लिए:	श्रीमती फ़ौजिया मिर्जा, सहायक सलिसिटर जनरल
राज्य/ उत्तरवादी क्र. 2-5 के लिए:	श्री चंद्रेश श्रीवास्तवा, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी क्र. 6 के लिए:	श्री वी. आर. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री ए.

	के. प्रसाद एवं श्री एस. धर्माधिकारी, अधिवक्तागण

निर्णय

(28/07/2010 को पारित)

आई. एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश

1. हमने रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता और उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है, ने दिनांक 14.5.2010 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) से असंतुष्ट होकर यह याचिका प्रस्तुत किया है। इस आदेश में उत्तरवादीगण/राज्य ने याचिकाकर्ता को बताया था कि आई टी बी के खंड 4.5.3(ब) के अनुसार उसकी बोली को अनुत्तरदायी माना गया है, अतः याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। याचिकाकर्ता दिनांक 29.5.2010 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) से भी असंतुष्ट है, जिसमें याचिकाकर्ता को बताया गया था कि मोर्थ, नई दिल्ली की मूल्यांकन समिति ने दिनांक 14.5.2010 के उसके अभ्यावेदन पर इसे पुनर्विलोकन के लिए उपयुक्त नहीं माना है, अतः याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरवादी क्र 3 ने तारा प्रेम नगर रामानुजनगर कृष्णपुर रोड (एल.डब्ल्यू.ई प्रोजेक्ट के तहत) पर कि. मी. 0.00 से 63,650 तक दो लेन को चौड़ा करने के काम के लिए योग्य ठेकेदारों से दिनांक 19.2.2010 की निविदा आमंत्रण सूचना (अनुलग्नक पी/3) के माध्यम से निविदा आमंत्रित किए थे। संविदा की संभावित राशि 6100.05 लाख रुपये थी।

4. आई.टी.बी का खंड 4.5.3 सामान्य अनुभव के बारे में बताता है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.5.3 सामान्य अनुभव

आवेदनकर्ता को नीचे दिए गए न्यूनतम मानदंड पूरे करने होंगे:

(अ) पिछले पांच वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार (जिसमें सभी तरह के सिविल अभियांत्रिकी निर्माण कार्यों में चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की बिलिंग शामिल है) आवेदन संविदा का मूल्य का 40% होना चाहिए।

(ब) पिछले पांच वर्षों में प्रस्तावित संविदा का मूल्य के न्यूनतम 40% के बराबर राज मार्ग (सड़क और/या पुल के कार्य) या एयरपोर्ट रनवे का कम से कम एक संविदा 'सफलतापूर्वक पूरा करने' का अनुभव।

यह काम आवेदक ने प्रमुख ठेकेदार के तौर पर या संयुक्त उद्यम के सदस्य या उप-ठेकेदार के तौर पर किया हो सकता है। उप-ठेकेदार के तौर पर, उसे प्रस्तावित संविदा के तहत सभी बड़े कार्यों को करने का अनुभव होना चाहिए। अगर कोई परियोजना संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है, तो परियोजना के अनुभव के लिए महत्व हर संयुक्त उद्यम को संयुक्त उद्यम में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में दिया जाएगा।

वास्तविक रूप से पूरे हो चुके काम का मतलब है वे काम जो जमा करने की तारीख तक कम से कम 90% पूरे हो चुके हैं (अर्थात् जमा करने की आखिरी तारीख तक किए गए कार्यों की कुल कीमत मूल संविदा की कीमत का 90% या उससे ज़्यादा है) और संतोषजनक ढंग से चल रहे हैं। इनके लिए, आवेदन के साथ नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसमें कार्य का नाम, संविदा की कीमत, बिलिंग राशि, कार्य शुरू होने की तारीख, ठेकेदार का संतोषजनक प्रदर्शन और कोई भी दूसरी ज़रूरी जानकारी साफ़-साफ़ लिखी होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके अतिरिक्त, आई टी बी खंड 4.5.4 में कार्मिक क्षमताओ के बारे में बताया गया है कि अपीलार्थी के पास उन पदों को भरने के लिए सही योग्य कर्मी होने चाहिए, जो उसमें बताए गए हैं। अपीलार्थी हर पद के लिए एक

प्रमुख उम्मीदवार और एक वैकल्पिक उम्मीदवार की जानकारी देगा, और दोनों को उसमें बताई गई अनुभव की ज़रूरतों को पूरा करना होगा।

6. याचिकाकर्ता ने कार्यपालक अभियंता, पी. डब्ल्यू.डी संभाग क्र 1, रायपुर द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 10.6.2009 को जमा किया। प्रमाण पत्र देखने से पता चलता है कि जिस संविदा के लिए याचिकाकर्ता ने काम किया था, उसकी संविदा मूल्य 21,41,97,625/- रुपये थी, जिसमें से दिनांक 31.3.2009 तक याचिकाकर्ता ने 2198.69 लाख रुपये का कार्य किया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.3.2010 का एक और प्रमाण पत्र भी जमा किया है। इस प्रमाण पत्र को देखने से पता चलता है कि जिस संविदा के लिए याचिकाकर्ता ने कार्य किया था, उसकी संविदा मूल्य 1,41,97,625/- रुपये थी, लेकिन उसने दिनांक 31.3.2009 तक सिर्फ 2248.69 लाख रुपये का ही कार्य किया था। वह भी दिनांक 6.9.2006 के कार्य - आदेश के संबंध में। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि अंतिम बिल का प्रगति पर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता ने जवाब के साथ दिनांक 16.5.2010 का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी संभाग क्र 1, रायपुर ने यह प्रमाणित किया है कि दिनांक 15.3.2010 के पिछले प्रमाण

पत्र के क्रम में, याचिकाकर्ता को दिनांक 31.3.2009 तक याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य के संबंध में 2248.61 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2009 में 24.37 लाख रुपये का कार्य भी किया है। इस प्रमाण पत्र के अनुसार, 2006 से लेकर प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख अर्थात् दिनांक 16.5.2010 तक, याचिकाकर्ता ने कार्य पूरा कर लिया है और उसे 2273.06 लाख रुपये का भुगतान मिल गया है।

8. तकनीकी मूल्यांकन समिति ने दिनांक 10.5.2010 को हुई अपनी बैठक में याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली पर विचार किया और पाया कि योग्य व्यक्ति पर्याप्त नहीं थे और दिनांक 14.5.2010 के आक्षेपित निर्णय (अनुलग्नक पी/1) द्वारा यह सूचना भेजी गई कि कार्य के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास 02 साइट इंजीनियर, 02 प्लांट इंजीनियर और 01 क्वांटिटी सर्वेयर कम हैं। याचिकाकर्ता के पास प्रस्तावित कार्य के 40% से कम मुल्य के एकल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव भी नहीं है। अतः, आई टी बी के खंड 4.5.3(ब) के अनुसार याचिकाकर्ता की बोली को अनुत्तरदायी माना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि इस निविदा आमंत्रण सूचना में संविदा की संभावित मुल्य 6100.05 लाख रुपये थी। खंड 4.5.3 - सामान्य अनुभव

के तहत यह शर्त थी कि पिछले पांच वर्षों का वार्षिक कारोबार संविदा का मूल्य का 40% होना चाहिए। 40% रकम 24.40 करोड़ रुपये बनती है, लेकिन याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.3.2009 तक सिर्फ 2248.69 लाख रुपये का ही कार्य किया था। अतः, कार्य को 40% से कम माना गया। इसके अतिरिक्त, योग्य व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं होने के कारण भी बोली को अनुत्तरदायी माना गया।

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आई टी बी के खंड 4.5.2 की ओर दिलाया है, जिसमें आधार वर्ष और वृद्धि के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि आधार वर्ष (विशेष वर्ष का उल्लेख किया जाना है) माना जाएगा। भारत में पूरे हुए कार्यों के लिए कार्य की लागत और वित्तीय आंकड़ों को एक सामान्य आधार मूल्य पर लाने के लिए नीचे दिए गए वृद्धि कारक का इस्तेमाल किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूर्व वर्ष	**गुणांक**
एक	1.10
दो	1.21
तीन	1.33

चार	1.46
पाँच	1.61

आवेदक को ऊपर बताए गए गुणांक को ध्यान में रखे बिना, उनके द्वारा किए गए कार्यों की व्यय और राशि के असली आंकड़े बताने चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.उत्तरवादी क्र 1/भारत संघ द्वारा प्रस्तुत प्रति-शपथपत्र के कंडिका - 4 में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.3.2010 का प्रमाण पत्र लगाया है, जो कार्यपालक अभियंता, पी. डब्ल्यू.डी संभाग क्र 1, रायपुर से मिला है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि 2248.69 लाख रुपये का कार्य पूरा हो गया है और अंतिम बिल का कार्य प्रगति पर है। चूंकि यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि कार्य दिनांक 31.3.2009 तक पूरा हो गया था और ऊपर दिए गए प्रमाण पत्र में कार्य पूरा होने की कोई असल तारीख नहीं बताई गई थी, अतः याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य के पूरा होने का वर्ष 2009-2010 माना गया क्योंकि प्रमाण पत्र दिनांक 15.3.2010 को जारी किया गया था। क्योंकि यह बोली वर्ष 2009-2010 की है, अतः 2009-2010 के दौरान पूरे किए गए कार्य की मूल्य पर कोई वृद्धि गुणांक लागू नहीं किया गया था।

ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य की मूल्य का मूल्यांकन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आई टी बी के खंड 4.5.2 को लागू न करके, उत्तरवादीगण ने कोई अनियमितता की है।

12.उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आई टी बी के खंड 8.3 की ओर दिलाया, जिसमें कहा गया है कि बोली लगाने वाले से उम्मीद की जाती है कि वह बोली दस्तावेजों में दिए गए सभी निर्देशों, संविदा की शर्तों, संविदा डेटा, फॉर्म, नियम, तकनीकी विशिष्टताएँ, मात्राओं का बिल, फॉर्म, अनुलग्नक और ड्रॉइंग्स की ध्यान से जांच करे। बोली दस्तावेजों की ज़रूरतों का पालन न करने पर बोली लगाने वाला खुद ज़िम्मेदार होगा। इसके खंड 26 के अनुसार, जो बोली बोली दस्तावेजों की ज़रूरतों के हिसाब से सही नहीं होंगी, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.आई टी बी का खण्ड 26 सुसंगत है और उसे नीचे उद्धत किया गया है:

26. निविदा की जांच और अनुरूपता का निर्धारण।

26.1 "तकनीकी बोली" के विस्तार में मूल्यांकन के दौरान, नियोक्ता यह तय करेगा कि हर बोली (क) खंड 3 और 4 में बताई गई पात्रता मापदंड को पूरा

करती है या नहीं (ख) उस पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं या नहीं। (ग) उसके साथ आवश्यक प्रतिभूतियों हैं या नहीं, और (घ) वह बोली दस्तावेजों की आवश्यकताओ के हिसाब से काफी हद तक अनुरूप है या नहीं। " वित्तीय बोली" के विस्तार में मूल्यांकन के दौरान, बोली की जवाबदेही को बाकी बोली की शर्तों, अर्थात् मूल्यवान मात्रा बिल, तकनीकी विनिर्देश और ड्राइंग के संबंध में अतिरिक्त रूप से विचार किया जाएगा।

26.2 काफी हद तक एक अनुरूप "वित्तीय बोली" वह होती है जो बोली दस्तावेजों के सभी नियमों, शर्तों और विनिर्देशों को बिना किसी बड़े बदलाव या आरक्षण को मानती है। कार्य में एक बड़ा बदलाव या आरक्षण (ख) जो बोली दस्तावेजों के साथ असंगत तरीके से, संविदा के तहत नियोक्ता के अधिकारों या बोलीदाताओं की ज़िम्मेदारियों को किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से सीमित करता है या (ग) जिसमें सुधार करने से, काफी हद तक सही बोली पेश करने वाले दूसरे बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धी स्थिति पर गलत असर पड़ेगा।।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26.3 यदि "वित्तीय बोली" काफी अनुरूप नहीं है, तो इसे नियोक्ता द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और बाद में गैर-अनुरूप विचलन या आरक्षण को ठीक करके या वापस लेकर इसे अनुरूप नहीं बनाया जा सकता है।

14.याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह आपत्ति उठाई है कि तकनीकी बोली निरस्त नहीं की गई थी। हमारी राय में, याचिकाकर्ता को यह बताना कि बोली को आई टी बी के खंड 4.5.3(ख) के तहत अनुरूप माना गया है, बोली को निरस्त करने जैसा ही है, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.5.2010 को अभ्यावेदन दिया था और मोर्थ की मूल्यांकन समिति ने इसे पुनर्विलोकन के लिए सही नहीं माना और याचिकाकर्ता को दूसरे आक्षेपित आदेश दिनांक 29.5.2010 (अनुलग्नक पी/2) के ज़रिए यह बताया गया कि याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। यह भी तकनीकी बोली को साफ तौर पर निरस्त करने जैसा ही है, और याचिकाकर्ता को योग्य नहीं पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विरुद्ध पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य (ए आई आर 2001 एस सी 682) के निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य प्रकरण ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और अन्य विरुद्ध मेसर्स अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य (ए आई आर 2005 एस सी 2653) के निर्णय का अवलंब लिया है जिसके कंडिका- 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है-

"10. अतः, यह सिद्धांत सुस्थापित है कि निविदा के निमंत्रण की शर्तों की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती और न्यायालय निविदा की शर्तों को कम नहीं कर सकते क्योंकि वे संविदा के दायरे में आती हैं, जब तक कि वे पूरी तरह से मनमानी, भेदभावपूर्ण या दुर्भावना से प्रेरित न हों। विधि की यह सिद्धांत, इस न्यायालय के कई निर्णयों से स्थापित है, अतः यह काफी हैरानी की बात है कि माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में पहले ही दिन साहयता सुनवाई के दौरान एक अंतरिम निर्देश पारित किया और अपीलकर्तागण को निविदा खुलने की असल तारीख के तीन दिन बाद तक बैंक गारंटी या बैंकर्स चेक देकर अर्नेस्ट मनी जमा करने की इजाज़त दी। माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश पूरी तरह से अवैध था, अतः युगल पीठ द्वारा उसे आपस्त किया माना उचितपूर्ण था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा सेल्युलर विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (ए आई आर 1996 एस सी 11) के प्रकरण में बताया है कि निविदा क्या होता है और एक वैध निविदा के लिए क्या ज़रूरी शर्तें होती हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निविदा बिना शर्त होना चाहिए और दायित्व की शर्तों के मुताबिक होना चाहिए, और साथ ही जिस व्यक्ति ने निविदा दिया है, वह अपनी दायित्व को पूरा करने में सक्षम और इच्छुक होना चाहिए। यह भी

अभिनिर्धारित किया गया है कि निविदा के लिए निमंत्रण की शर्तों की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती क्योंकि निविदा का आमंत्रण संविदा के दायरे में आता है।

17.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एयर इंडिया लिमिटेड विरुद्ध कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड {2000 (2) एस सी सी 617 } कंडिका- 7 में अभिनिर्धारित किया कि:

"7. राज्य, उसके निगमों और शासन के उपकरण और एजेंसियां के तौर पर कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा संविदा देने से संबंधित विधि इस न्यायालय के निर्णयों में स्थगित किया गया है, जैसे कि रमना दयाराम शेट्टी विरुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया { (1979) 3 एस सी सी 489}, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन (रजिस्टर्ड) विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया { (1981) 1 एस सी सी 568}, सी सी ई विरुद्ध डनलप इंडिया लिमिटेड { (1985) 1 एस सी सी 260}, टाटा सेलुलर विरुद्ध भारत संघ {(1994) 6 एस सी सी 651}, रमणिकलाल एन. भुट्टा विरुद्ध महाराष्ट्र शासन { (1997) 1 एस सी सी 134 } और रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड विरुद्ध एल.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड { (1999) I एस सी सी 492}. कोई भी संविदा देना, चाहे वह किसी प्राइवेट संस्था द्वारा हो या किसी शासकीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संस्था या राज्य द्वारा, असल में एक वाणिज्यिकी लेनदेन है। किसी वाणिज्यिकी निर्णय पर पहुंचने में जो बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वे वाणिज्यिकी बातें ही होती हैं। राज्य निर्णय लेने के लिए अपना तरीका चुन सकता है। वह निविदा के लिए निमंत्रण की अपनी शर्तें तय कर सकता है और इसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। वह उसे मिले छूट में से किसी एक को स्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले बातचीत कर सकता है। कीमत हमेशा संविदा प्रदान का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती। अगर निविदा की शर्तें ऐसी छूट की अनुमति देती हैं, तो वह अच्छे कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है। हो सकता है कि वह छूट को स्वीकार न करे, भले ही वह सबसे ज़्यादा या सबसे कम हो। लेकिन राज्य, उसके निगम, संस्थाएं और एजेंसियां अपने द्वारा तय किए गए नियमों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं और मनमाने ढंग से उनसे अलग नहीं हो सकते। यद्यपि उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच कर सकता है और अगर उसे लगता है कि यह गलत आशय, अनुचित और मनमानी से खराब हुआ है, तो वह दखल दे सकता है। राज्य, उसके निगम, संस्थाओं और एजेंसियों की यह सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधित लोगों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साथ निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई कमी पाई जाती है, तो भी न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए और इसका इस्तेमाल केवल जनहित को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ एक विधिक बिंदु साबित करने के लिए। न्यायालय को हमेशा बड़े जनहित को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि उसके दखल की ज़रूरत है या नहीं। न्यायालय को तभी दखल देना चाहिए जब वह इस निर्णय पर पहुंचे कि बहुत ज़्यादा जनहित के लिए दखल देना ज़रूरी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और अन्य (2009 ए आई आर एस सी डब्ल्यू 4623) के हाल के निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अवधारित किया है:

"25. .....यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष रूप से कार्य करें, लेकिन यह भी सुस्थापित है कि न्यायिक समीक्षा में, न्यायालय निर्णय के गुण-दोष या सही होने से संबंधित नहीं है, बल्कि इस बात से संबंधित है कि निर्णय किस तरह से लिया गया है या आदेश कैसे दिया गया है। न्यायालय प्रकरण का निर्णय करने वाले

प्राधिकारी की राय की जगह अपनी राय नहीं दे सकता। अपीलीय शक्ति और न्यायिक समीक्षा के बीच का अंतर अच्छी तरह से पता है लेकिन इसे दोहराने की ज़रूरत है।"

न्यायिक समीक्षा के ज़रिए, न्यायालय उन संविदा की विवरण की जांच नहीं कर सकता जो सार्वजनिक निकायों या राज्य ने किए हैं। ऐसी किसी भी जांच के दायरे पर न्यायालय की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर संविदा उस प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ किए बिना किया गया है जिसे बुनियादी कहा जा सकता है और राज्य और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध अलग-अलग विकल्प पर एक वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करने के बाद किया गया है, तो न्यायालय ऐसे संविदा करने के लिए किए गए चयन के बारे में अपनी राय देकर अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही न्यायालय यह ज़रूर जांच कर सकता है कि 'निर्णय लेने की प्रक्रिया' उचित, तर्कसंगत, मनमानी नहीं थी और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तो नहीं करती थी...।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19.उपरोक्त बताई गई बातों को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिली असाधारण क्षेत्राधिकार का

इस्तेमाल करके दखल देने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। यह रिट याचिका भ्रामक है और अतः इसे निरस्त किया जाता है।

20.वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/- **सही/-**

आई. एम. कुद्दूसी **एन. के. अग्रवाल,**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....K. RADHIKA.....